पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा–2025 शिविर– चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्याः– 190/2025 दिनांकः– 4/7/2025

उनवान

श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र रामजीवन बनाम सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का ईमरहा B भू. अ. नि. शिवाड़ एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम चौकड़ी प0 ह0 ईमरहा B की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 46 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	नाम की अशुद्धि (पिता का नाम)	बुद्धि प्रकश पुत्र जीवण (शेष इन्द्राज बह० जमा.)	बुद्धि प्रकाश पुत्र रामजीवन (शेष इन्द्राज बह० जमा.)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.07.23 15:34:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।
2. प्रार्थी श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र रामजीवन
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा